



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233042
CG-DL-E-01022022-233042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]
No. 86]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 12/2022 – सीमाशुल्क

सा.का.नि. 86 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णित माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित किए गए हैं, जब वह भारत में आयात किए जाते हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्भूतग्राहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्याधीन, उस शर्त संख्या को जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित है, छूट देती है।

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8507 60 00/ 8507 80 00	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्तियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली बैटरी	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
			15%	1 और 7
2.	कोई अध्याय	क्रम सं. 1 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
3.	8518 90 00	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्तियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड संयोजन (पीसीबीए)	शून्य	1 और 4
			10%	1 और 5
			15%	1 और 6
			15%	1 और 7
4.	कोई अध्याय	क्रम सं. 3 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
5.	8518 90 00	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्तियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले स्पीकर संयोजन स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ स्पीकर समुच्चय से संरक्षात्मक उपाय के साथ पूर्व संनियोजित स्पीकर ड्राइवर अभिप्रेत है। किंतु इसमें मुद्रित सर्किट बोर्ड समुच्चय (पीसीबीए) या बैटरी सम्मिलित नहीं है।	शून्य	1 और 4
			शून्य	1 और 5
			5%	1 और 6
			10%	1 और 7
6.	कोई अध्याय	क्रम सं. 5 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3

7.	73, 74, 85	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाले निम्नलिखित युक्ति भागों, घटकों और उपसाधनों, अर्थात् : - (i) रबर के भाग (ii) प्लास्टिक के भाग (iii) पेंच (iv) चुंबक (v) संयोजित करने वाले भाग (vi) कर्ण परत (vii) मंच जोड़ (viii) मंच खोल (ix) कान के हुक (x) रोटरी पिन (xi) तार (xii) कान के बड बटन हाउसिंग (xiii) स्पीकर कैविटी (xiv) सिलीकोन फिन्स (xv) कान मप्स (xvi) कान के खोल (xvii) बाहरी और भीतरी सांचे (xviii) ऊपरी घेरे के साथ दाहिने कान के कोपल (xix) कान के कप/कान के कुशन (xx) कान का जैल (xxi) गले का बैंड और सिर का बैंड(तारदार और घुमावदार) (xxii) चार्जिंग केस हाउसिंग (xxiii) दाहिने कान के कोपल का सीलबंद ड्राइवर (xxiv) कान के कोपल का मास्किंग बोर्ड (ईवीए) (xxv) कान के कोपल की हाउसिंग (xxvi) घुमावदार शाफ्ट (धातु और प्लास्टिक) (xxvii) धातु के कान के खोल (xxviii) तांबे की पन्नी	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
			15%	1 और 7
8.	कोई अध्याय	क्रम सं. 7 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इन्पुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
9.	8518 21 00, 8518 22 00, 8518 29 00 या 8518 30 00	सभी माल	15%	2

10.	8518 21, 8518 22, 8518 29 या 8518 30	सभी माल, श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्ति के अलावा	15%	3
11.	8518 90 00	सभी माल, क्रम संख्या 3,5 और 7 पर उल्लिखित के अलावा	10%	-

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, श्रवण के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों से आशय है:-

- (i) बेतार स्टीरियो, सिर पर लगाए जाने वाले फोन, कान में लगाए जाने वाले फोन और समरूप उपकरण जैसे कि कान के कोपल, गले के बैंड, सिर पर लगाए जाने वाले सैट इत्यादि, माइक्रोफोन के साथ संलग्न हों या नहीं और बेतार माध्यम द्वारा संबद्ध किए जाने के सक्षम हों; और
- (ii) प्रवर्धक और ध्वनि विस्तारक (कों) के साथ संयोजित पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, जिनकी अधिकतम आउटपुट शक्ति 40 वाट से अधिक न हो और जिनके साथ शक्ति के स्रोत के रूप में बैटरी संलग्न हों और जो ब्लूटूथ के माध्यम से बेतार कनेक्टिविटी के सक्षम हों।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्तें
1.	यदि आयातक सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल के आयात)नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है।
2.	तारीख 31 मार्च, 2022 तक विधिमान्य
3.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से विधिमान्य
4.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य
5.	तारीख 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक विधिमान्य
6.	तारीख 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विधिमान्य
7.	तारीख 1 अप्रैल, 2025 से विधिमान्य।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 12/2022-Customs

G.S.R. 86 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description as specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to any of the conditions as specified in the Annexure to this notification, the Condition No. of which is mentioned in the corresponding entries in column (5) of the said Table.

TABLE

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8507 60 00/ 8507 80 00	Battery for use in manufacture of hearable devices.	Nil	1 and 4
			5%	1 and 5
			10%	1 and 6
			15%	1 and 7
2.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 1.	Nil	1 and 3
3.	8518 90 00	Printed Circuit Board Assembly (PCBA) for use in manufacture of hearable devices.	Nil	1 and 4
			10%	1 and 5
			15%	1 and 6
			15%	1 and 7
4.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 3.	Nil	1 and 3
5.	8518 90 00	Speaker assembly for use in manufacture of hearable devices <i>Explanation</i> – For the purposes of this entry, speaker assembly means a pre-assembled speaker driver with protective mesh, but not including Printed Circuit Board Assembly (PCBA) or battery.	Nil	1 and 4
			Nil	1 and 5
			5%	1 and 6
			10%	1 and 7
6.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 5.	Nil	1 and 3
7.	73, 74, 85	The following parts, components and accessories of hearable devices, namely: - (i) Rubber parts (ii) Plastic parts (iii) Screws (iv) Magnets	Nil	1 and 4
			5%	1 and 5
			10%	1 and 6
			15%	1 and 7

		(v) Connect parts (vi) Earlaps (vii) Mic Gaskets (viii) Mic Membrane (ix) Ear hooks (x) Rotary Pin (xi) Wires (xii) Earbud Button Housing (xiii) Speaker Cavities (xiv) Silicone fins (xv) Earmuffs (xvi) Ear shell (xvii) Outer and inner moulds (xviii) Right earbud upper housing (xix) Earcup/ Ear-Cushions (xx) Ear-gel (xxi) Neckband and Headband (wired and moulded) (xxii) Charging case housing (xxiii) Right earbud driver sealing (xxiv) Earbud board masking EVA (xxv) Earbud bottom housing (xxvi) Revolving Shaft (Metal and plastic) (xxvii) Metal ear shells (xxviii) Copper foil.		
8.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 7.	Nil	1 and 3
9.	8518 21 00, 8518 22 00, 8518 29 00 or 8518 30 00	All goods	15%	2
10.	8518 21, 8518 22, 8518 29 or 8518 30	All goods, other than hearable devices.	15%	3
11.	8518 90 00	All goods other than those mentioned at S. Nos 3, 5, and 7.	10%	-

Explanation. - For the purposes of this notification, hearable devices mean: -

- (i) true wireless stereo (TWS), headphones, earphones and similar devices like earbuds, neckbands, headsets, etc., whether or not combined with a microphone, being capable of connecting through a wireless medium; and

- (ii) portable bluetooth speakers comprising of an amplifier and loudspeaker(s) with maximum output power not exceeding 40 Watts, having battery as a source of power and capable of wireless connectivity through bluetooth.

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	If the importer follows the procedure specified in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
2.	Valid upto 31 st March, 2022.
3.	Valid from 1 st April, 2022 onwards.
4.	Valid from 1 st April, 2022 upto 31 st March, 2023.
5.	Valid from 1 st April, 2023 upto 31 st March, 2024.
6.	Valid from 1 st April, 2024 upto 31 st March, 2025.
7.	Valid from 1 st April, 2025 onwards.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2022.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.